पंचायत समिति नगरोटा बगवां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा , हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत पंचायत समिति नगरोटा बगवां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान पंचायत समिति काँगड़ा में निम्नलिखित अध्यक्ष,मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव कार्यरत रहे :-

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	डा०बशीर खान	01-04-2024 से 20-10-2024
2.	श्रीमति लतिका सहजपाल	21-10-2024 से 31-03-2024

2. अध्यक्षा

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजना कुमारी	01-04-2024 से 31-03-2025

3. सचिव /पंचायत निरीक्षक

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार	01-04-2024 से 31-03-2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

पंचायत समिति नगरोटा बगवां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है, जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाया जाता है:-

क्र० स०	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	4.1	26.18
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	186.65
3.	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7.1	0.88
4.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनुचित क्रय/भुगतान करना	8	1.58
5.	निर्माण कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	9.1	3.05

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्याके.के./ एस.एम्.एल/ एस.ए.डी.-2025-64 दिनांक 25-06-2025 को गत अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों में शामिल अनिर्णीत पैरों के सन्दर्भ में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने के बारे में आग्रह किया गया था , परन्तु संस्था के प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26-06-2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर सम्बन्धित अभिलेख अपूर्ण है व नियमानुसार आगामी अंकेक्षण में उक्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा, प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोषजनक नहीं है, संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जोकि संस्थान की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है एवं स्वतः आपत्तिजनक है। अतः पंचायत समिति के शेष लम्बित पैरों के निपटारे हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को भी अवगत करवाएँ ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न दर्शाई गई है।

1.अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2021 से 31/03/2024 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति रसीद न० 0878103 दिनांकित 10.09.24 के दृष्टिगत
2	4, 4.1	अनिर्णीत	
3	5	अनिर्णीत	
4	6	अनिर्णीत	
5	7	अनिर्णीत	
6	8	अनिर्णीत	
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11	अनिर्णीत	
10	12	अनिर्णीत	

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

पंचायत समिति नगरोटा बगवां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23-06-2025 से 26-06-2025 तक पंचायत समिति नगरोटा बगवां के कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय हेतु चयनित माह	व्यय हेतु चयनित माह
1.	2024-2025	05/2024	10/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत समिति के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध

न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

पंचायत समिति नगरोटा बगवां, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-68 दिनांक 26-06-2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी.-2025-51 दिनांक 23.06.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट "1"** -में दिया गया है-:

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	453007.00	182045.00	635052.00	52448.00	582604.00

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2024-25	27034926.00	46565875.3	73600801.3	54936021.00	18664780.3

कुल योग (1+2) = 582604.00 + 18664780.3= 19247384.3

(ख) बैंक समाधान विवरणी:- दिनांक 31.03. 2025 को पंचायत समिति की ऑनलाइन,हस्तलिखित रोकड़ बहियों /वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष ₹19247384.तथा प्रस्तुत बैंक खातों राशि **परिशिष्ट - "3" के अनुसार** अन्तशेष **₹21864898.96** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है-:

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.25 को
1	स्वयं स्त्रोत	एच.डी.एफ.सी. बैंक नगरोटा बगवां	50100167338523	593490.60
.2	एस.एफ.सी(SFC)	एच.डी.एफ.सी. बैंक नगरोटा बगवां	50100458671079	1556998.30
.3	GIA(सैलरी)	एच.डी.एफ.सी. बैंक नगरोटा बगवां	50100244564361	11766408.76
.4	15वां वित	एच.डी.एफ.सी. बैंक नगरोटा बगवां	50100426824249	3327411.30
5.	15वां वित	AXIS बैंक पालमपुर	920010039534022	4620590.00
6.	बैंक खातों का दिनांक 31.03.2025 का कुल योग:			21864898.96
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-				**₹19247384.3**
पंचायत समिति के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2025 का अन्तशेष:-				**₹21864898.96**
			अंतर :-	**₹2617514.66**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत समिति द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹26.18 लाख का अन्तर पाया जाना :

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 (10) के अनुसार पंचायत समिति की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत समिति की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-25 को **₹**2617514.66 की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर

बेंको में अधिक के रूप में पाया गया । समिति द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं गम्भीर आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी.-2025-55 दिनांक 24.06.2025 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अन्तर बारे उचित तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार अन्तर की राशि का उचित समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 पंचायत समिति के समस्त लेखों का रख-रखाव ऑनलाइन प्रणाली (e-gram swaraaj/ Priya Soft.) में न किये जाने बारे :-

निदेशक एवं विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र पृष्ठांकन संख्या पीसीएच-एच ए (5) सी (15) 351/2017-नि० 15409-437 दिनांक 05.03.19 के अन्तर्गत जारी निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं की रोकड़ बहियों एवं समस्त लेखों का संधारण 01.04.2019 से Priasoft सॉफ्टवेयर (अब e-gram Swaraj Postal) पर किया जाना अपेक्षित है। उक्त पत्र में जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन करने हेतु निदेशालय, जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा यदि कोई व्यक्ति इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पंचायत समिति नगरोटा बगवां के अंकेक्षण दौरान समिति द्वारा केवल 15वें वित्तायोग की रोकड़बही का संधारण ही ऑनलाइन (e-gram स्वराज) माध्यम से किया गया था अन्य अनुदानों व स्व:-स्त्रोत की रोकड़ बहियों का संधारण केवल एकल रोकड़ बही में मेनुअल माध्यम से ही किया गया था जोकि उक्त आदेशों/दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन के.के./एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-53 दिनांक 24-06-2025 के प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26-06-2025 को समिति द्वारा सूचित किया कि भविष्य में अन्य अनुदानों व स्व:-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का ऑनलाइन संधारण किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर उक्त पत्र के दिशा-निर्देशों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त निर्देशों की अवहेलना को पूर्ण न्यायोचित ठहराये जाये एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासन

के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई उपरान्त लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त पत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों की उचित अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है।

4.3 पंचायत समिति के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत समिति नगरोटा बगवाँ के मुख्य खाते निजि बैंक एच0डी0एफ0सी0 नगरोटा बगवां व AXIS बैंक पालमपुर में खोले गये थे जोकि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/83-II दिनांक 29.04.2020 व Fin-IF(A)1-68/83-II दिनांक 22.07.2020 में वर्णित दिशा–निर्देशों की अवहेलना है, क्योंकि उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार संस्थानों की अतिरिक्त राशि का 60 प्रतिशत भाग राष्ट्रीयकृत / अधिसूचित वाणिज्यक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निवेश किया जाना अपेक्षित है। लेकिन पंचायत समिति की सम्पूर्ण राशि (100 प्रतिशत भाग) निजि बैंकों में जमा है ।

पंचायत समिति द्वारा निजी बैंकों में समिति निधि खाता रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के0के0 / एस0एम0एल0डी–2025–54 दिनांक 24.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पचांयत समिति नगरोटा बगवाँ द्वारा क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से सूचित किया कि भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करने उपरान्त इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा। अतः दोहराई गई इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार, नियमानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते(नियम 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. पंचायत समिति की अतिरिक्त निधि को नियमानुसार सावधि जमा में निवेश न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 26 के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक,सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में अतिरिक्त शेष उपलब्ध थी। इस चूक के कारण एक तरफ जहाँ नियमों की उल्लंघना हुई है वहीं दूसरी तरफ संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/ एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-57 दिनांक 24 06.2025.द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर कमांक संख्या 5655 दिनांक 26 06.2025.द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 6 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति के दृष्टिगत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹186.65 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 22 के प्रावधानुसार पंचायत समिति की निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिये किया जाएगा, जिसके लिए निधियां प्रदान करने वाली वित्त पोषण एजेन्सी की अपेक्षाओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

पंचायत समिति द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट2-}** के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान राशि **₹18664780.30** उपयोग हेतु शेष थी,जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत समिति पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-56 दिनांक 24/06/2025 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.6.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को अंकेक्षणावधि में व्यय न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इनको यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7.1 दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹ 0.88 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 34(2)** में प्रावधान है कि पर्याप्त कारणों के बिना पंचायत समिति को देय कोई भी राशि परादेय/अदत (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत समिति नगरोटा बगवां के अंकेक्षण में पाया गया कि समिति द्वारा दुकानें किराये पर दी गई थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2025 तक कुल राशि ₹ 88400/- वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट – 4** पर दिया है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-59 दिनांक 25-06-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था,जिसके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दुकानों के किराये की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना में किराये की नियमित उगाही न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किराये की बकाया राशि ₹88400/- की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत समिति द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के मासिक किराये में नियमानुसार वृद्धि न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति नगरोटा बगवां द्वारा अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31.03.25 तक किराये पर दी गई दुकानों के दुकानदारों के किराये में 10% की बढौत्तरी नहीं की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधित) नियम, 2009 के

नियम 4(2) के अनुसार "Notwithstanding anything contained in law for the time being in force or in any contract, a landlord shall, in addition to the increase in rent provided in this Act, be entitled to increase the rent of a building or land at the rate of ten percent (10%) of the standard rent or the agreed rent, as the case may be, every three years". अतः दुकानदारों के किराये में हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण (संशोधित) नियम, 2009 के नियम 4(2) में विहित प्रावधानों के अनुरूप हर तीन वर्ष उपरांत किराये में 10% की बढौत्तरी की जानी अनिवार्य है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.एम्.एल-2025-60 दिनांक 25-06-2025 के अन्तर्गत पंचायत समिति के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुत्तर में पंचायत समिति नगरोटा बगवां के क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26-06-2025 द्वारा स्पष्ट किया कि नियमानुसार कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुसार एवं समय-2 पर जारी निर्देशानुसार तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत समिति की दुकानों के सभी दुकानदारों से समय-2 पर जारी निर्देशानुसार, हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियन्त्रण(संशोधित) नियम, 2009 के नियम 4(2) में विहित प्रावधानों के अनुरूप हर तीन वर्ष उपरांत किराये में 10% की बढौत्तरी करते हुए पुनः नवीनतम किराया निर्धारण करने उपरांत गत वर्षों की बकाया राशि की वसूली भी की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 खनन सामग्री के आपूर्ति से सम्बन्धित ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W प्राप्त किये बिना ही आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1.58 लाख के अनियमित भुगतान करने बारे :

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अंतर्गत पुनः दिये गये निर्देशानुसार सविंदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (Contractor/Vendor) से माननीय उच्च न्यायलय के

आदेशों के दृष्टिगत अब रॉयल्टी नहीं काटी जा सकती तथा उन्हें भुगतान केवल वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" जमा/उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है |

पंचायत समिति द्वारा **परिशिष्ट –"5 "** में सलंग्न विवरण के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर /गटका इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **₹158282-/** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है। पूर्वोक्त नियम प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित हैं |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्याके.के/ एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-66 दिनांक 26.06.2025 द्वारा पंचायत समिति से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26 06.2025.द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों/निर्देशों की जानकारी के आभाव के कारण फॉर्म "X या W" नहीं लिए गए। अत: भविष्य में खनन सामग्री की आपूर्ति से सम्बन्धित फॉर्म "X या W" प्राप्त करके ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा। प्रस्तुत उतर गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 में दर्ज अंकेक्षणापत्ति, नियमों/निर्देशों के विरुद्ध होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निर्देशानुसार समस्त भुगतान वैध ट्रांजिट पास फॉर्म "X या W" की प्राप्ति उपरांत ही किये जाने थे |

अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान खनन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को नियमाविरुद्ध एवं समय-2 पर जारी निर्देशों के विरुद्ध किये गये समस्त अनियमित भुगतानों को (उनके पूर्ण विवरण सहित) या तो समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 ₹3.05 लाख के निर्माण कार्यों/अन्य खर्चों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पचांयत समिति को दिये गये अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए अनुदान मंजूर किये गये हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किये है, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में चयनित माह के दौरान विकास खण्ड नगरोटा बगवाँ की विभिन्न पंचायतों को ₹305000/– विभिन्न प्रयोजनों हेतु जारी किये गये थे लेकिन उक्त जारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''6''** पर दिया गया है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के0के0/एस0एम0एल0/एस0ए0डी0–2025–61 दिनांक 25.06.2025 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26.06.2025 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार शीघ्र वॉछित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अंकेक्षणार्थ को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

9.2 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹1.59 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)** के अनुसार पंचायत समिति द्वारा कोई भी भुगतान पंचायत समिति के अध्यक्ष व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अदायगी धारित करने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत समिति के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा विवरणानुसार राशि **₹**159209/- का भुगतान किया गया परन्तु इन बिलों पर पारित प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं थी तथा इनका भुगतान केवल विकास खंड अधिकारी/सीईओ के एकल हस्ताक्षर से ही कर दिया गया था जोकि उक्त वित्तीय नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

क्र०स०/ अनुदान	**निर्माण कार्य**	**मस्ट्रोल संख्या**	**वाउचर/ दिनांक**	**राशि (₹)**
1 एस.एफ.सी	निर्माण कार्यालय परिसर का उन्नयन(Upgradation)	19	निल	37000
2 एस.एफ सी	निर्माण कार्य मनीष कुमार के घर से नालेतु बस्ती तक	07	08/23.04.2024	23561
3. एस.एफ सी	निर्माण कार्य मनीष कुमार के घर से नालेतु बस्ती तक	09	08/23.04.2024	47367

4. एस.एफ सी	निर्माण कार्य कार्यालय परिसर (Toilet)	26	11/20.05.2024	26301
5 एस.एफ सी	निर्माण कार्य कार्यालय परिसर (Toilet)	27	1/20.05.2024	24980
		कुल योग		**159209**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-65 दिनांक 26-06-2025 द्वारा पंचायत समिति से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके क्रमांक संख्या 5655दिनांक 26 06.2025.द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०स०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	26 व 27 (1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(10)	----
3.	लेखा खाता बही	29 (1 से 3)	07
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21

7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	………..

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या के.के/ एस.एम्.एल/एस.ए.डी-2025-58 दिनांक 24.06.2025 द्वारा पंचायत समिति नगरोटा बगवां को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5654 दिनांक 26 .06. 2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत :अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष अर्थात भौतिक सत्यापन की तिथि को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या के.के/एस.एम्.एल/एस.ए.डी/2025-51 दिनांक 23 06.2025. द्वारा पंचायत समिति को इस बारे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 5655 दिनांक 26 06.2025.द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

14. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनिमितितायें की जा रही है। अतः लेखों में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने अपेक्षित है।

07 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/प्राप्ति

5277 – 5280

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(15) (2) 331/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा जिला काँगड़ा हि0प्र0।

पंजीकृत 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

07 AUG 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620046

का0/प्राप्ति

17

ANNEXURE-1

FINANCIAL POSITION OF PANCHAYAT SAMITI NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA (H.P)-176047 FOR THE YEAR 2024-25

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	453007	182045	635052	52448	582604

2 GRANT-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	27034926	46565875.3	73600801.3	54936021	18664780.3

SA

24/6

Block Development Officer
Dev. Block Nagrota Bagwan

16

ANNEXURE-2 (पैरा संख्या "6")

FINANCIAL POSITION OF GRANTS-IN AID OF PANCHAYAT SAMITI NAGROTA BAGWAN DISTT. KANGRA (H.P) FOR THE YEAR 2024-24

SR.NO.	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	SFC	2024-25	6558063	182309	6740372	6060928	679444
2	GIA(SALARY	2024-25	16286733	36883752	53170485	43133150	10037335
3	15TH FC	2024-25	4190130	9499814.3	13689944.3	5741943	7948001.3
		Total	27034926	46565875.3	73600801.3	54936021	18664780.3

P.I. 24/6

Block Development Officer
Dev. Block Nagrota Bagwan

(19)

परिशिष्ट-3(पैरा संख्या "५(क)")

कार्यालय ग्राम पंचायत समिति नगरोटा बगवां विकास खंड नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा हि० प्र० 176047

बैंक प्रमाण पत्र

क्र० स०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.2024	बैंक शेष 31.03.2025
	स्वयं स्त्रोत	एच.डी.एफ.सी. नगरोटा बगवां	50100167338523	463893.60	593490.60
	एस.एफ.सी.(SFC)	एच.डी.एफ.सी. नगरोटा बगवां	50100458671079	7646056.30	1556998.30
	GIA(Salary)	एच.डी.एफ.सी. नगरोटा बगवां	50100244564361	15094976.12	11766408.76
	15वा वित्	एच.डी.एफ.सी. नगरोटा बगवां	50100426824249	3229433.30	3327411.30
	15वा वित्	AXIS BANK पालमपुर	920010039534022	1447817.00	4620590.00
				27882176.32	21864898.96

P.I. 24/6

S.A

Block Development Officer
Block Nagrota Bagwan

18

(28) परिशिष्ट-५ (पैरा संख्या "7.")

पंचायत समिति नगरोटा बगवां अवधि 4/2024 से 3/2025 तक दुकानों के किराये का विवरण।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	वार्षिक किराया	योग	प्राप्ति	वसूली हेतू शेष राशि
2024-25	80,000	18	7200	1,29,600		
		01	6000	6,000		
		04	4,800	4,800		
			कुलः-	2,20,400	1,32,000	88,400

Recieved Copy

P.I.

S.A.

Block Development Officer
Dev. Block Nagrota Bagwan

(21)

परिशिष्ट- 5 (पैरा संख्या "8")

पंचायत समिति नगरोटा बगवां विकास खंड नगरोटा बगवां ,जिला कांगड़ा हि० प्र० - 176047द्वारा क्रय खनन सामग्री बर्ष 2024-2025

क्र.स.	अनुदान	वाउचर सं०/दिनांक	फर्म का नाम	बिल स०/दिनांक	सामग्री	मात्रा/प्रति	दर	कुल राशि(जी,एस.टी सहित)
1	SFC	14/25.05.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	18/20.05.2024	Sand	370	48	17760
2	SFC	14/25.05.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	18/20.05.2024	crusher	220	35	7700
3	SFC	16/12.06.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	28/05.06.2024	Sand	70	48	3360
4	SFC	16/12.06.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	28/05.06.2024	crusher	70	35	2450
5	SFC	16/12.06.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	29/08.06.2024	Sand	490	48	23520
6	SFC	25/11.07.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	45/21.06.2024	Sand	40	48	2016
7	SFC	25/11.07.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	45/21.06.2024	crusher	35	35	1286
8	SFC	25/11.07.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	44/20.06.2024	Sand	210	48	10080
9	SFC	26/22.08.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	74/14.08.2024	Sand	150	50	7500
10	SFC	74/14.08.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	73/03.08.2024	Sand	170	48	8160
11	SFC	74/14.08.2024	Vikas Puri Nagrora Bagwan	73/03.08.2024	crusher	210	35	7350
12	SFC	36/08.01.2025	Vikas Puri Nagrora Bagwan	220/06.01.2025	Sand	450	48	21600
13	SFC	36/08.01.2025	Vikas Puri Nagrora Bagwan	220/06.01.2025	crusher	620	35	21700
14	SFC	36/08.01.2025	Vikas Puri Nagrora Bagwan	220/06.01.2025	crusher	680	35	23800
						कुल योग		**158282**

Block Development Officer
Nagrota Bagwan

20

(22) परिशिष्ट-6 (पैरा संख्या "9.1")

पंचायत समिति नगरोटा द्वारा विभिन्न पंचायतों को विकासात्मक कार्यों के रूप में आवंटित की गई राशि 3.05/- लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।

क्र स०	अनुदान का नाम	वाउचर संख्या	दिनांक	मद का नाम/कार्य का नाम	स्वीकृति पत्र संख्या	राशि
1	15वा वित्	p/01	08.10.2024	निर्माण गंदे पानी की निकासी राम प्रकाश की जमीन से डिबर खड तक	604-675 / 28.02.2023	50000
2	15वा वित्	p/02	08.10.2024	अर्मी चंद मनोहर लाल के घर के पास गंदे पानी की निकासी	886-999/ 14.09.2023	80000
3	15वा वित्	p/03	08.10.2024	निर्माण वाटर कूलर निहार गलू चौक	866-999/ 14.09.2023	80000
4	15वा वित्	p/04	08.10.2024	निर्माण गंदे पानी की निकासी भगवान दास की जमीन में	604-675/ 28.02.2023	50000
5	15वा वित्	p/05	14.10.2024	प्रतिस्थापन सोलर लाईट रविन्द्र कुमार घर के पास	866-999/ 14.02.2023	15000
6	15वा वित्	p/06	14.10.2024	प्रतिस्थापन सोलर लाईट रमेश चंद के घार के पास	866-999/ 14.10.2023	15000
7	15 वित्	p/07	14.10.2023	प्रतिस्थापन सोलर लाईट जीवन कुमार की दूकान के पास	866-999/ 14.10.2023	15000
				कुल योग		305000

P.I.

Recieved copy
S.A

Block Development Officer
Dev. Block Nagrota Bagwan